HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4884/2026
CNR: RJHC020711762026 | URN: CRLMP / 11279U / 2026

1. Madan Jangid Son Of Shri Kanhaiyalal, Aged About 28 Years, Resident Of Khajuriya Brahman, Tehsil Bassi, District Jaipur Rural.
2. Sahil Bansal, Son Of Shri Surendra Bansal, Aged About 31 Years, Resident Of Ward No. 12, Mavdiyon Ke Mandir Ke Samne, Bhadra, District Hanumangarh
3. Narendra Bairwa, Son Of Shri Badri Prasad Bairwa, Aged About 32 Years, Resident Of Joshi Ki Kothi, Khedla Khurd, Tehsil Lawan, District Dausa.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Satvir Singh Son Of Shri Sumer Singh, Aged About 30 Years, Resident Of Village Khohara Kalan, Post Kalota, Police Station Kolwa, Tehsil Kundal, District Dausa, Rajasthan, At Present Manager Connect India E Commerce Services Private Limited

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Singh Rajawat, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP Mr. Puneet Prajapat, Adv. Mr. Rakesh Prajapat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

28/10/2026

यह याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना–साईबर पुलिस थाना, जिला दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 61(2), 303(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.30
14:52:12 IST

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी/पीडित/आहतगण द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया कि पक्षकारों के बीच में आपसी स्वैच्छिक सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है। दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, अपराध जघन्य व गंभीर प्रकृति का नहीं है, अतः उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके आधार पर संस्थित आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। उनके द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके साथ पुलिस के समक्ष अभियुक्तगण व आहतगण/पीडित/परिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक कर प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

परिवादी/सूचनाकर्ता, जिनके द्वारा राजीनामा किया गया है, उनके पक्ष में संबंधित कंपनी द्वारा अधिकार पत्र भी जारी किया गया है, जिसकी प्रति आज परिवादी पक्ष द्वारा पेश की गई, जो रिकॉर्ड पर रखी जाती है।

वर्तमान मामले में अपराध गंभीर व जघन्य प्रकृति का नहीं है। पक्षकारान् के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं, अतः ऐसी स्थिति में अनुसंधान अथवा अभियोजन को निरन्तर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Gian Singh Vs. State of Punjab & Anr. 2012(10) SCC 303 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह याचिका स्वीकार होकर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही अपास्त होने योग्य है।

परिणामतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जाती है तथा याचीगण के विरूद्ध पुलिस थाना–साईबर पुलिस थाना, जिला दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2026 की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

48/DINESH KUMAWAT